

भारत के उच्चतम न्यायालय में

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सि) 708/2024

सोनल गुप्ता और अन्य

...वादीगण

बनाम

रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और अन्य

...प्रतिवादी

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सि) सं. 706/2024

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सि) सं. 711/2024

के साथ

डायरी सं. 48927/2024

के साथ

डायरी सं. 48993/2024

और साथ में

डब्ल्यू. पी. (सि) सं. 709/2024

हेडनोट्स

भारत का संविधान - अनुच्छेद 32 - याचिकाकर्ता राजस्थान सिविल जज मुख्य परीक्षा 2024 के अंग्रेजी निबंध प्रश्नपत्र में स्वेच्छित ढंग से कम अंक दिए जाने से व्यथित हैं।

अभिनिर्धारित: न्याय हित में उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन किया गया याचिकाकर्ताओं के अभिकथन में कोई सार नहीं है याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों और जो उम्मीदवार अर्हता प्राप्त नहीं कर सके दोनों के मूल्यांकन की सख्ती में कोई उल्लेखनीय भिन्नता नहीं दिखाई है निबंध के अंकन में ऐसी कोई कमी नहीं है जो अंग्रेजी निबंध उत्तर पुस्तिकाओं के समग्र मूल्यांकन पर और इसके परिणामस्वरूप परीक्षा के समग्र परिणामों की अखंडता पर संदेह पैदा करती हो - इसके अतिरिक्त तालिकाबद्ध कथन में भी कोई सांख्यिकीय विसंगति नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता दर्शाती हो -तदनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.

1. एक सौ नौ याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। याचिकाकर्ता वे उम्मीदवार हैं जो राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, जो 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। उनकी शिकायत यह है कि उन्हें व्यक्तिपरक परीक्षा के प्रश्नपत्र, अर्थात् भाषा पेपर-II (अंग्रेजी निबंध) में स्वेच्छित ढंग से अंक दिए गए हैं, जिसके कारण वे साक्षात्कार दौर के लिए कट-ऑफ अंकों से नीचे आ गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2024, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष इन कार्यवाहियों के शुरू होने के मद्देनजर समान

विवाद पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था — इस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति के लिए एक याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षाओं के परिणामों को रद्द करने और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की माँग करते हैं। चूंकि विवाद समान हैं, इसलिए याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया जा रहा है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में कहा गया है कि सिविल न्यायाधीशों के पदों पर भर्ती सीधे प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। चयन प्रक्रिया की योजना तीन चरणों में होती है, अर्थात् (i) प्रारंभिक परीक्षा; (ii) मुख्य परीक्षा; और (iii) साक्षात्कार दौर। लिखित परीक्षा की योजना आर. जे. एस. नियमों की अनुसूची IV में दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक विज्ञापन संख्या रा. उ. न्या. जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा. न्या. से./सि. न्या. सं./2024/783 जारी किया, जिसने सिविल न्यायाधीश संवर्ग 2024 की परीक्षा को 222 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचित किया।
3. याचिकाकर्ताओं ने 23 जून 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। मुख्य परीक्षा को चार भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात् (i) लॉ पेपर-I (सिविल); (ii) लॉ पेपर-II (आपराधिक); (iii) लैंग्वेज पेपर-I (हिंदी निबंध); और (iv) लैंग्वेज पेपर-II (अंग्रेजी निबंध)। कानून के प्रश्नपत्रों को एक सौ में से अंकित किया जाना था और भाषा के प्रश्नपत्रों को पचास में से अंकित किया जाना था। अंग्रेजी निबंध में तीन प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता थी। सभी उम्मीदवारों के लिए, पहले प्रश्न का मूल्यांकन जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया था, जबकि दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न का मूल्यांकन सरकारी कॉलेज में कार्यरत अंग्रेजी भाषा के

प्रोफेसरों के अलग-अलग समूहों द्वारा करने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

4. आर. जे. एस. नियम निर्धारित करते हैं कि वाइवा वॉस में अर्हता प्राप्त करने के लिए कानून के प्रश्नपत्रों में न्यूनतम कटऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत होंगे। साक्षात्कार के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास कुल 40 प्रतिशत (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत) होना चाहिए। भाषा के प्रश्नपत्रों के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं हैं।
5. याचिकाकर्ता 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024 को परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। परिणाम 1 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए थे। छह सौ अड़तीस उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार चरण के लिए अर्हता प्राप्त की। जब याचिकाकर्ताओं को 4 अक्टूबर 2024 को अपने अंकपत्र प्राप्त हुए, तो उन्होंने देखा कि भाषा के पेपर-II (अंग्रेजी निबंध) में उनके अंक चौंकाने वाले थे — पचास में से शून्य और पंद्रह के बीच। अंग्रेजी निबंध में कम अंक दिए जाने से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और 4 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित किए गए परिणामों को अपास्त करने के लिए इस न्यायालय का रुख किया।
6. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या भाषा की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में कोई स्वेच्छित भिन्नता है जो परीक्षा के समग्र परिणामों की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकती है।
7. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अंग्रेजी निबंध परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में गंभीर विसंगतियां हैं। वे निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

1. भाषा के प्रश्नपत्रों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों के अभाव में, अंकन को स्वेच्छित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अन्यथा कानून के प्रश्नपत्रों में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें अंग्रेजी निबंध पत्र में अनुचित रूप से कम अंक दिए गए हैं।
2. जिन उम्मीदवारों ने प्रश्नपत्र का उत्तर देने का प्रयास किया है, उन्हें भी शून्य अंक दिए गए हैं। चूंकि पेपर व्यक्तिपरक प्रकृति का होता है, इसलिए अंक नहीं दिए जाना समझ से परे है;
3. प्रश्नपत्र-सह-उत्तरपुस्तिका में सीमित स्थान उम्मीदवारों की उचित उत्तर देने की क्षमता में बाधा डालता है; और
4. परीक्षा की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच एक महीने की अवधि के भीतर चौदह हजार से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की सीमित संख्या में परीक्षकों द्वारा जांच की गई।

प्रक्रियात्मक इतिहास

8. इस मामले में उत्पन्न हुए प्रश्नों को हल करने के लिए, न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को नोटिस जारी किया और उन उम्मीदवारों की अंग्रेजी निबंध की उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें पंद्रह से कम अंक दिए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने रिकॉर्ड पर एक नोट रखा जिसमें संकेत दिया गया कि अंग्रेजी निबंध परीक्षा में उपस्थित होने वाले 3534 उम्मीदवारों में से 3384 या 95.76% उम्मीदवारों ने शून्य और पंद्रह के बीच अंक प्राप्त किए हैं। हमने पाया कि डेटा का स्कैन और विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि यह निरीक्षण किया जा सके कि क्या स्वेच्छित ढंग से भिन्नताएं देखी जा सकती हैं।
9. तदनुसार, 21 अक्टूबर 2024 को इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायालय के समक्ष एक तालिकाबद्ध बयान रखा जाए जो उन उम्मीदवारों द्वारा क्रमशः लॉ पेपर-।

(सिविल) और लॉ पेपर-II (आपराधिक) में प्राप्त अंकों को दर्शाता है जो अंग्रेजी माध्यम में उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजी निबंध में शून्य और पंद्रह के बीच अंक प्राप्त किए हैं और जिन्होंने साक्षात्कार चरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की है। अभिलेख वाले बक्से को इस न्यायालय के महासचिव की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया था। हमारे निर्देशों के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 73 पृष्ठों का एक तालिकाबद्ध पत्रक प्रस्तुत किया है।

विक्षेपण

10. संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस अदालत ने राय दी कि जब कई परीक्षकों द्वारा परीक्षा के माध्यम से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ हद तक भिन्नता हो सकती है। हालाँकि, विसंगति की संभावना तब उत्पन्न होती है जब परिणामों से व्यापक भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। प्रणव वर्मा बनाम पी एंड एच उच्च न्यायालय में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां मूल्यांकन प्रक्रिया समान है, वहां विसंगति की संभावना कम हो जाती है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“14....हमारा विचार है कि कई परीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन, अर्थात् एक परीक्षक द्वारा सभी उत्तर पुस्तिकाओं में एक प्रश्न की जांच और अंकित कर किया गया मूल्यांकन, समानता सुनिश्चित करता है और संयोग अंकन को रोकता है। प्रत्येक उम्मीदवार के उत्तरों को एक ही परीक्षक द्वारा समान मापदंडों पर अंकित किया जाता है। मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित करने के लिए सम्भवतः कोई अन्य बेहतर विधि नहीं हो सकती है। ...

15. अंकन मापदंड और मूल्यांकन सख्त था लेकिन यह सभी के लिए था। शायद यही कारण था कि एक परीक्षक ने प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में एक उत्तर की जाँच की और इस तरह से सभी उत्तर पुस्तिकाओं को अंकित किया गया। परीक्षक एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने में विफल रहे कि एक नए प्रयास में भी भर्ती का स्रोत समान होने की संभावना थी और उम्मीदवारों के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 8.5 मिनट थे और समय की कमी ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि जिन उम्मीदवारों ने सभी पहलुओं को संक्षेप में शामिल किया, उन्हें भी उचित अंक नहीं दिए गए। संजय सिंह मामले में दिए गए काल्पनिक उदाहरण के विपरीत, यह ऐसा मामला नहीं था जहाँ कुछ उम्मीदवारों का सख्त अंकन किया गया था और अन्य को उदार अंकन का लाभ था, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मूल्यांकन विधि भेदभावपूर्ण या स्वेच्छित थी।

11. प्रशांत रमेश चक्करवार बनाम यूपीएससी¹, में इस न्यायालय ने कहा है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं होने पर कि मेधावी उम्मीदवारों को जानबूझकर उनके अंकों से वंचित किया गया है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस न्यायालय ने भी निर्धारित किया है कि केवल इस लिए कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में आगे उत्तीर्ण नहीं हुए, परीक्षा प्राधिकरण की ओर से गलती का अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है।

12. वर्तमान मामले में पहले प्रश्न का मूल्यांकन जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया था, जबकि दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न का मूल्यांकन सरकारी कॉलेज में कार्यरत अंग्रेजी शिक्षकों के अलग-अलग समूहों द्वारा करने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। याचिकाकर्ताओं ने मूल्यांकन की

सख्ती में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं दिखाया है जिससे साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी गुजरना पड़ा था। किसी भी महत्वपूर्ण भिन्नता के बिना, अंक निर्धारण करने की प्रक्रिया अपने आप में संदिग्ध नहीं है। सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी निबंध परीक्षा में जानबूझकर कम अंक दिए गए थे।

13. न्याय और निष्पक्षता के हित में, हमने उन उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन किया है जिन्हें 25 अक्टूबर 2024 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों द्वारा न्यायालय की जांच के लिए रखा गया था। अंग्रेजी निबंध में उत्तरों की प्रकृति के आधार पर, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन आरोपों में कोई सार नहीं है, यहां तक कि प्रथम दृष्टया भी नहीं कि अंग्रेजी निबंध के प्रश्नपत्र में जानबूझकर कम अंक दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका के अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया और इसे इस न्यायालय के महासचिव की सुरक्षा में रखा गया।

14. न्यायालय के समक्ष प्रकट की गई तालिकाबद्ध स्थिति के आधार पर, हमें कोई सांख्यिकीय विसंगति नहीं मिलती है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के व्यवधान की आवश्यकता प्रदान करती हो। निबंध के अंकन में ऐसी अशक्तता नहीं है जो अंग्रेजी निबंध उत्तर पुस्तिकाओं के समग्र मूल्यांकन पर संदेह पैदा करे। इसलिए याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा समान मामलों में अनुसरण किए गए मापदंडों की अर्हता प्राप्त करने में विफल रहती हैं।

निष्कर्ष

15. अतः हम इन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हैं। तदनुसार याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। यदि किसी उम्मीदवार को कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो इस

आदेश द्वारा निर्धारित किए गए विवाद को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

16. महासचिव अब अंग्रेजी निबंध की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं वाले बक्से राजस्थान उच्च न्यायालय की उस टीम को सौंप सकते हैं जिसने फाइलें प्रस्तुत की हैं।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

.....मुख्य न्यायाधीश

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

.....

न्यायाधीश

[जे बी पारदीवाला]

..... न्यायाधीश

[मनोज मिश्रा]

नईदिल्ली;

24 अक्टूबर, 2024